

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज
प्र.सं. 27/2023 जीसीएमएस : 2023/115
रमेश कुमार बनाम शान्ति देवी आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए, 209 आरटीएक्ट

नम्बर व तारीख
अहकाम जो जो
इस हुक्म की
तामील में जारी
किये गये

05.08.2025

वकील वादी उपस्थित। वहरा वकील वादी सुनी गयी। वकील वादी तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन कर वाद पत्र अन्तिम डिक्री करने हेतु निवेदन किया। वहरा पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 26.03.2025 को वाद पत्र प्रारम्भिक डिक्री करते हुए "विवादित भूमि चक 5 पीटीडी के खाता सं. 32 में मोमनराम के नाम से दर्ज मु.नं. 7 व 8 की कुल 9.387 है. अ.क. भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 6 प्रत्येक को 1/7 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा वादी के हिस्सानुसार प्रतिवादीगण से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का किलेवाईज विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को प्रेषित करें।" आदेश पारित किये गये थे। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2024/ 2493 दिनांक 18.07.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर अधिवक्ता वादी द्वारा सहमति प्रकट की गयी है। विभाजन प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 6 के हस्ताक्षर अंकित है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित भूमि चक 5 पीटीडी के खाता सं. 32 में मोमनराम के नाम से दर्ज मु.नं. 7 व 8 की कुल 9.387 है. अ.क. भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 6 के मध्य निम्नलिखित अनुसार खाता विभाजन कर पक्षकारान को उनके नाम के सम्मुख अंकित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है :

1	वादी रमेश कुमार	प.नं. 235/362 मु.नं. 8 कि.नं. 1/2/.227, 2/.253, 3/1/.240, 4/1/.177, 5/1/.076, 6/.077 व प.नं. 234/362 मु.नं. 7 कि. नं. 9/1/.089, 10/1/.202 कुल 1.341 है.
2	प्रति. सं. 1 शान्ति देवी	प.नं. 235/362 मु.नं. 8 कि.नं. 10/2/.228, 9/.253, 8/.253, 7/.253, 6/.176, 15/.060 व प.नं. 234/362 मु.नं. 7 कि.नं. 11/.059, 12/.059 कुल 1.341 है.
3	प्रति. सं. 2 सत्यनारायण	प.नं. 235/362 मु.नं. 8 कि.नं. 11/.114, 12/.127, 13/.127, 14/.126, 15/.193 व प.नं. 234/362 मु.नं. 7 कि.नं. 11/.194, 12/.194, 13/.215, 14/.051 कुल 1.341 है.
4	प्रति. सं. 3 जगदीश	प.नं. 235/362 मु.नं. 8 कि.नं. 11/.114, 12/.126, 13/.126, 14/.127, 16/.094, 17/.094, 18/.094, 19/.094, 20/.093 व प.नं. 234/362 मु.नं. 7 कि.नं. 17/.095, 18/.095, 19/.095, 20/.094 कुल 1.341 है.
5	प्रति. सं. 4 किशन कुमार	प.नं. 235/362 मु.नं. 8 कि.नं. 16/.159, 17/.159, 18/.159, 19/.159, 20/.072 व प.नं. 234/362 मु.नं. 7 कि.नं. 17/.158, 18/.158, 19/.158, 20/.159 कुल 1.341 है.
6	प्रति. सं. 5 प्रेम कुमार	प.नं. 235/362 मु.नं. 8 कि.नं. 20/.063, 21/.116, 22/.116, 23/.116, 24/.116, 25/.116, 16/1/.114 व प.नं. 234/362 मु.नं. 7 कि.नं. 21/.116, 22/.116, 23/.116, 24/.116, 25/.120 कुल 1.341 है.
7	प्रति. सं. 6 महेन्द्र कुमार उर्फ जोगेन्द्र कुमार	प.नं. 235/362 मु.नं. 8 कि.नं. 21/.112, 22/.137, 23/.137, 24/.137, 25/.137 व प.नं. 234/362 मु.नं. 7 कि.नं. 21/.137, 22/.137, 23/.137, 24/.137, 25/.133 कुल 1.341 है.



मुख्य अधिकारी
श्री विजयनगर

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्र.सं. 27/2023 जीसीएमएस : 2023/115
रमेश कुमार बनाम शान्ति देवी आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए, 209 आरटीएक्ट

नम्बर व तारीख
अहकाम जो जो
इस हुक्म की
तामील में जारी
किये गये

उपर्युक्त विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से पृथक-पृथक खाता में भूमि खातेदार दर्ज की जावे। भूमि की किस्म/प्रकृति, राहिन तथा अन्य अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

शकुन्तला

उपस्थान अधिकारी
श्री श्रीविजयनगर